ग्राम पंचायत तंगरोटी खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016 तक
भाग –1

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्प्रम पंचायत तंगरोटी खास़, विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क0	नाम	अवधि
1	श्री नन्द लाल	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्रीमति अर्पणा देवी	23/01/2013 से 31/03/2016

सचिव :–

क0	नाम	अवधि
1	श्री सुरिन्दर सिंह	01/04/2013 से 06/06/2015
2	श्रीमति सुदर्शना देवी	06/06/2015 से 20/02/2016
3	श्रीमति सविता देवी	20/02/2016 से 31/03/2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत तंगरोटी खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

कम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.35
2	9	अनुदान राशि का अवरोधन	9.21
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कय करने बारे	0.54
4	11	कय की गई सामग्री का भंण्डारण न करना	0.031

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास्, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 07/11/2016 से 15/11/2016 तक ग्राम पंचायत तंगरोटी खास कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 05/13, 01/15 व 09/15 एवं व्यय के लिए माह 01/2014, 11/2014, व 09/2015 का चयन किया गयाा, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 07 दिनांक 15/11/2016 द्वारा सचिव, पंचायत तंगरोटी खास से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

4.1 स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत रक्कड़ के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) स्वः स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	पावतियां	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	71079.00	13293.00	84372.00	33279.00	51093.00
2014–15	51093.00	27738.00	78831.00	7271.00	71560.00
2015–16	71560.00	4026.00	75586.00	9715.00	65871.00

(ख) अनुदान

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	359702.00	2411769.65	10737.85	2782209.50	2276716.10	505493.40
2014—15	505493.40	1949575.00	21635.00	2476703.40	1863629.30	613074.10
2015—16	613074.10	2080484.00	24206.00	2717764.10	1778203.45	939560.65
					कुल योग (क+ख)	₹**1005431.65**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः—

कम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के0सी0सी0 बैंक धर्मशाला	2002132822	146700.50
2	के0सी0सी0 बैंक योल कैंट	20012008269	259116.00
3	पी0 एन0 बी0 योल कैंट	6710000100037324	524.00
4	पी0 एन0 बी0 योल कैंट	6710000100037333	854.00
5	पी0 एन0 बी0 योल कैंट	6710000100038305	8480.97
6	पी0 एन0 बी0 योल कैंट	6710000100024056	5208.02
7	पी0 एन0 बी0 योल कैंट	6710000100024047	46499.00
8	पी0 एन0 बी0 योल कैंट	6710000100023455	510542.02
9	पी0 एन0 बी0 योल कैंट	6710000100031375	20363.57
10	पी0 एन0 बी0 योल कैंट	6710000100031366	3157.57
		योग	₹**1001745.65**

बैंक समाधान विवरणः—

दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	1005431.65
दिनांक 31.03.2016 को बैंक के अनुसार जमा राशि	1001745.65
अन्तर	3686.00

अन्तर के कारणः—

चैक जो रोकड़ बही पर दर्ज किये गये परन्तु बैंक में जमा नहीं करवाये गये

1.	चैक संख्या 929684 दिनांक 22.03.2016 राशि	700.00
2.	चैक संख्या 929685 दिनांक 22.03.2016 राशि	1640.00
3.	चैक संख्या 929686 दिनांक 22.03.2016 राशि	770.00
	हस्तगत राशि	576.00
	योग	₹**3686.00**

5 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

5.1 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 नियमो के विरूद्ध दस बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत तंगरोटी खास में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित दस बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.3 खाता 'ख' के ₹0.57 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹56578.85 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज
2013—14	10737.85
2014—15	21635.00
2015—16	24206.00
कुल योग	**56578.85**

5.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 **निवेशः**— ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था।

7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार पंचायत द्वारा आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं किया गया है जिसके कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.27 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत सचिव/सहायक ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व 35085/—की वसूली शेष थी।

<u>गृहकर :–</u>

क0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	अन्तशेष
1	2013–14	2680.00	14000.00	16680.00	10160.00	6520.00
2	2014–15	6520.00	14850.00	21370.00	7195.00	14175.00
3	2015–16	14175.00	14950.00	29125.00	2040.00	27085.00

शराब शुल्क :– वर्ष 2015–16 का शराब शुल्क प्राप्त ही नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान की ₹9.21 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹921361 की उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये ।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.55 लाख के निर्माण सामग्री का कय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का कय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹54655 के रेत, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री का कय निविदा सम्बन्धी औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही खरीद करना सुनिश्चित की जाये।

क्र0 सं0	वाउचर संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	मूल्य
1	09	08.09.2015	श्री कुलदीप कुमार	रेत, क्रशर व मिक्स क्रशर की खरीद	3420.00
2	10	08.09.2015	श्री कुलदीप कुमार	रेत, क्रशर व मिक्स क्रशर की खरीद	12400.00
3	13	09.09.2015	दशमेश ट्रेडिंग कम्पनी	स्टील की खरीद	3600.00
4	14	24.09.2015	रमेश चन्द	सोलिंग व बोल्डर	7000.00
5	06	09.09.2015	रमेश चन्द	सोलिंग व बजरी	8000.00
6	07	09.09.2015	रमेश चन्द	सोलिंग व बजरी	8000.00
7	08	11.09.2015	रमेश चन्द	सोलिंग व बजरी	4000.00
8	20	30.09.2015	कुलदीप कुमार	बोल्डर	8235.00
				कुल योग	**54655.00**

11 क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारेः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान निम्नविवरणानुसार क्रय कये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सीमेंट व अन्य सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज कर उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जायेः—

क्र0सं0	वाउचर संख्या व दिनांक	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय की गई सामगी व मात्रा	राशि
1	80, 20.11.14	408 23.07.14	श्री प्रताप चन्द	ग्रेडिड स्टोन 627X8 स्टरिंग 200 फीट X 10	7016.00
2	81, 20.11.14	52 23.07.14	श्री ओम प्रकाश	क्रशर रेत 150फीट X 32	4800.00
3	शून्य 09.09.15	78 19.07.15	श्री कुलदीप कुमार	क्रशर मिक्स 200फीट X 30	6000.00
4	शून्य 09.09.15	93037 25.08.15	सिविल सप्लाई कारपोरेशन	सीमेंट 90 बैग X 278	25020.00
5	शून्य 09.09.15	90038 25.08.15	सिविल सप्लाई कारपोरेशन	सीमेंट 90 बैग X 278	25020.00
6	शून्य 09.09.15	66126 09.09.15	सिविल सप्लाई कारपोरेशन	सीमेंट 70 बैग X 278	19460.00
7	शून्य	66127	सिविल सप्लाई	सीमेंट 50 बैग X 278	13900.00

	09.09.15	09.09.15	कारपोरेशन		
8	शून्य 09.09.15	66128 09.09.15	सिविल सप्लाई कारपोरेशन	सीमेंट 80 बैग x 278	22240.00
9	शून्य 09.09.15	66127 09.09.15	सिविल सप्लाई कारपोरेशन	सीमेंट 80 बैग x 278	22400.00
10	शून्य 09.09.15	90499 04.07.15	सिविल सप्लाई कारपोरेशन	सीमेंट 61 बैग x 294	17834.00

12 सीमेंट के क्रय बारे ₹0.18 लाख

₹17834.00 का भुगतान हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को 61 बैग सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु बिल संख्या 90499 दिनांक 04.07.2015 द्वारा किया गया दर्शाया है। सीमेंट हेतु किया गया यह भुगतान मनरेगा से सम्बन्धित ऑन लाईन रोकड़ बही में बुक ही नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि वास्तव में सीमेंट हेतु किया गया यह भुगतान किस खाते से किया गया है। वास्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख–रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर
5	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7	स्टॉक रजिस्टर

8 विकास निष्पादन रजिस्टर

9 पेशगी रजिस्टर

इसके अतिरिक्त दिनांक 13.12.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि की मनरेगा खाते से सम्बन्धित कैश बुक को भी पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया है जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इसको नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान अनुदानों से व्यय राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बघित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः–यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः–लेखों के रख–रखाव व नियमों की अनुपालना में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(ii) 71/2016–खण्ड–1–2077–2080 दिनाँक : 06.04.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत तंगरोटी खास़, विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881